संख्या-3-ई.एम./2005-का-4-2006

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ :: दिनांक :: 20 दिसम्बर, 2006

विषयः-मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत बैठकों के संबंध में।

महोदय,

दिनांक 6 दिसम्बर, 2006 को विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत बैठक में यह परिलक्षित हुआ कि अनेक विभागों के अधिकारियों द्वारा उक्त बैठक में भाग नहीं लिया गया, अनेक विभागों के उप सचिव एवं अनु सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा बैठक में भाग लिया गया।

2. मुख्य सचिव द्वारा उक्त स्थिति पर गम्भीर असंतोष व्यक्त करते हुए, यह निर्देश दिये गये हैं कि भविष्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत की जाने वाली बैठकों में प्रमुख सचिवों/ सचिवों द्वारा ही भाग लिया जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में मुख्य सचिव के पूर्वानुमोदन से किसी अन्य अधिकारी के द्वारा बैठक में भाग लिया जा सकता है।

3. उपर्युक्त के संबंध में आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश सिन्हा)
सचिव।

संख्या-3-ई.एम./2005(1)-का-4-2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, मुख्य सचिव के सूचनार्थ उनके प्रमुख स्टाफ आफिसर को प्रेषित।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव।